

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 1-10/2011/16.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ श्रम (राजपत्रित) सेवा की भर्ती को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ श्रम (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 कहलायेंगे।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
 - (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;
 - (ग) "समिति" से अभिप्रेत है अनुसूची चार के कॉलम (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पद के संबंध में अनुसूची चार के कॉलम (5) के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति;
 - (घ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है नियम 11 के अनुसार भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा;
 - (ङ) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
 - (च) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
 - छ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/एचसीस/4-84, दिनांक 26-12-1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग (गैर-क्रिमी-लेयर)।
 - (ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
 - झ) "अनुपत्रित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

②

- (ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति,
- (ट) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ श्रम (राजपत्रित) सेवा;
- (ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।
3. विस्तार तथा लागू होना.— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम छत्तीसगढ़ श्रम (राजपत्रित) सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगी।
4. सेवा का गठन.— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—
- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण करते हों;
- (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और
- (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।
5. वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.— सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा।
परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी।
6. भर्ती का तरीका.— (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:—
- (क) प्रतियोगिता परीक्षा/चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;
- (ख) अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट पदों पर अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;
- (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसे सेवाओं में ऐसे पदों को मूल रूप से धारण करते हों जैसा कि इस नियम में विनिर्दिष्ट किया जाये।

- (2) उप-नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।
- (3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा, आयोग के परामर्श से अवधारित की जायेगी।
- (4) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।
- (5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा उक्त अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश (यथासंशोधित) भी लागू होंगे।
7. सेवा में नियुक्ति.— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।
8. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.— चयन के लिए पात्र होने के लिये, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—
- एक. आयु . (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन पर अभ्यर्थी ने अनुसूची तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो

- (ख) यदि अभ्यर्थी, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के नियम विरासत उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (घ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी:-
- (एक) ऐसे अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये और उसके प्रवर्ग में सेवा की कालावधि 07 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये;
- (दो) ऐसे अभ्यर्थी, जो अस्थायी शासकीय सेवक हो, की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यह छूट, आकस्मिकता निधि से बेतन पाने वाले कर्मचारियों, परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कार्यभारित कर्मचारियों को भी लागू होगी;
- (तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उनके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा;

परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण- शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संसद राज्य इकाईयों की अथवा शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में

नियोजन हेतु अल्पथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी लिये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

- (ड.) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द 'भूतपूर्व सैनिक' से शासक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छ माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसे किसी सेनागार कार्यालय में अपना पंजीयन करना या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अल्पथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व निरक्षयिता इकाई की सिफरिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी लिये जाने के कारण छूटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो—

- (एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन मुक्त कर दिया गया हो,
- (दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें—
 (क) अल्पकालीन वधनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,
 (ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।
- (तीन) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी सविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);
- (चार) अवकाश रिक्तियों पर छ माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी,

- (पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अंगूठे होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;
- (छ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनका अंगूठा पर सेवानुसक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं।
- (सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनका अंगूठा खाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- (आठ) उन अभ्यर्थियों के लिए, जो अशारीर/निरीक्षण/कल्याण कार्यक्रम या अंगूठे की जांच के दौरान धारक हैं, जिनकी आयु सीमा अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक स्थितिलनीय होगी।
- (नौ) अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रम के अधीन छत्तीसगढ़ के कर्मीय, जिनका पतन/अन्य योजना के अन्तर्गत अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत पुरस्कृत कार्यक्रमों से सवर्ग भति/पत्नी के संबंध में सम्मान उच्चतर आयु सीमा तक तक स्थितिलनीय होगी।
- (दस) शहीद राजीव गांधी पुरस्कार, भुण्डाधूर सम्मान एवं महासंघ श्रीनगर भण्डार सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा कृष्णकर प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक स्थितिलनीय होगी।
- (इस) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य नियंत्रण मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 36 वर्ष की आयु तक स्थितिलनीय होगी।
- (ग) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेवा के नाम कर्मचारी अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई भण्डार सेवा सेवा की कारगरिधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा का अध्यापन रहते हुए धृष्ट की जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 36 (अठतीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

टीप :

- (1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त खण्ड (घ) के उप-खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन, परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात्, सेवा से त्याग-पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।
 - (2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।
 - (3) उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट दिए जाने के उपरान्त, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी;
 - (4) किसी अन्य मामले में, आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी।
 - (5) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- दो. **शैक्षणिक अर्हताएं**— (एक) अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिए जैसा कि अनुसूची तीन में है।
- (क) आपवादिक मामलों में, आयोग शासन की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थियों को अर्ह (योग्य) समझ सकेगा, जिसके पास इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, किन्तु जिसने अन्य सरधानों द्वारा संवाहित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण किया हो जो आयोग की राय में प्रवेश/चयन के योग्य हो।

(ख) ऐसे अर्थों में अर्थों का अर्थ है, किन्तु विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त किया है जो शासन द्वारा विधि रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं है, अर्थात् के विवेक पर धर्म के लिये विचार किया जा सकता है।

तीन श्लोक- (क) अर्थों को अर्थों का अर्थ है या विहित श्लोक का अनुमान करना होता है।

(ख) विकल्प श्लोक- ऐसे अर्थों, जिन्हें विकल्पों मानकर के, समझ उपस्थित होने के लिये उपस्थित किया गया है, को स्वस्थ परीक्षा होने के पूर्व विकल्पों मानकर के अर्थों को शासन द्वारा विहित श्लोक का अनुमान करना होगा।

निर्देश- (1) अर्थों की ओर से अपनी उपस्थिति के लिये किन्हीं भी अर्थों से समझ उपस्थित करने के लिये भी प्रयास की, साथ ही पर्याय रूप से अर्थों द्वारा धर्म के लिये उपस्थित माना जा सकता है।

(2) कोई भी पुत्र अर्थों, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हैं और कोई भी महिला अर्थों, जिसमें ऐसे पुत्रों से विवाह किया है जिसकी पत्नी है एक पत्नी जीवित है, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी।

परन्तु यदि शासन का यह समझाना हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अर्थों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है।

(3) कोई भी अर्थों, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वस्थ परीक्षा में, जो विहित की जाए, मान्यता या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मान्यता या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये।

परन्तु आपाधिक मामलों में अर्थों को उसकी स्वस्थ परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकती है कि यदि वह विकल्पों रूप से अस्वस्थ पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकती हैं।

8

9

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक जांच, जैसा कि आवश्यक समझा जाए, के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दावा उभराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले संबन्धित हों तो उसकी नियुक्ति का प्रश्न तब तक संबन्धित रखा जावेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कानून आयोगों जिसका दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 नवम्बर 2009 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आयोगों जिनके 26 नवम्बर 2009 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निर्दिष्ट नहीं होगा।

अभ्यर्थी को चयनांक के बारे में आयोग का विनिश्चय— (1) चयन के लिए अभ्यर्थी को दायता अथवा प्रत्याभूति के रूप में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिस परीक्षा/समावृत्तक हेतु आयोग द्वारा प्रवेश प्रस्तावपत्र जारी नहीं किया गया हो, चयनांक या साक्षात्कार में शामिल होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(2) आयोग के द्वारा चयन प्रक्रिया के प्रक्रम पर अथवा शासन को चयन सूची भरण के क्रम में, यदि अयोग के सञ्ज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसका द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है तो वह

निरहित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति आयोग द्वारा समाप्त कर दिया जायेगा।

11. चयन/प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती— (1) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा, ऐम अन्तरालों पर ली जायेगी, जैसा कि शासन आयोग के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करे।
- (2) आयोग द्वारा, प्रतियोगिता परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोग के परामर्श से समय-समय पर ऐसी परीक्षा के लिए जारी माहपत्र, परीक्षा योजना और निर्देश के अनुसार आयोजित की जायेगी।
- (3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए, सीधी भर्ती के प्रक्रम में, पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंध तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश के अनुसार आरक्षित किया जायेगा।
- (4) सीधी भर्ती के प्रक्रम में, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे।
- (5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा चयनित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति किया जा सकेगा।
- (6) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य, महिला, विकलांग (निष्कण्ठ) एवं भूतपूर्व सैनिक हैं, की नियुक्ति के लिए उक्त क्रम में विचार किया

जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, वह अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

12. आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.- (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हो तथा अनुरूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रिमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो तथा महिला, निशक्ता व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों, जो आरक्षण के फलरूपरूप ऐसे स्तर से अर्हित हो, उनके (ऐसे अभ्यर्थियों के) मेरिट क्रम में चयन सूची, तैयार करेगा, जिसकी वैधता नियुक्ति के लिये शासन को सूची भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।
- (2) उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।
- (3) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोग द्वारा प्रत्येक प्रवर्ग के लिये एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्ग के लिये एक प्रतिक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, ऐसे चयन सूची के जारी होने की तारीख से डेढ़ वर्ष की होगी।
- स्पष्टीकरण- प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों के 25% आकलन के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, पाइंट (अंक) को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।
- (4) आयोग, उप-नियम (1) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा।
- (5) इस निगम तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अध्वर्धीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के

लिये उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम सूची में आये हों।

- (6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये, कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (7) किसी अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, के वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने, उपस्थिति दर्ज न कराने या त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से योग्य न पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम, नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।
- (8) यदि प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है, तो आयोग उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।
- (9) आयोग, शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्, शासन को युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए, अधिकतम 6 माह की कालावधि के लिए, चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकेगा।
- (10) प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि किये जाने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वतः वृद्धि हो जाना माना जायेगा।
- (11) उप-नियम (8) एवं (9) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता में, आयोग द्वारा तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी, जब तक कि शासन, वृद्धि हेतु युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए कोई सिफारिश नहीं करता।

13. परिवीक्षा.— (1) सेवा में सौधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

- (2) यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा की कालावधि, अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
- (3) परीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परीक्षा कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी को राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु योग्य नहीं है, तो ऐसे परीक्षाधीन की सेवाये समाप्त की जा सकेंगी।

14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.— (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारम्भिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य होंगे:

परन्तु इस उप-नियम के अधीन, समिति के गठन के प्रयोजन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबन्ध का भी अनुसरण किया जायेगा।

- (2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो।
- (3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार की जायेगी।
- (4) रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन— नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों तथा उक्त अधिनियम के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा जारी

गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

15. पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें- (1) उप-नियम (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में जिनसे पदोन्नति की जानी है या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण- पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति- संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेंडर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

- (2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति, वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिये कोई अन्य विचारण क्षेत्र (आधार) नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पदों तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो वहां विचार का क्षेत्र कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोक सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचार का क्षेत्र में कुल रिक्तियों की संख्या के सात गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचार क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचार के क्षेत्र में प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

- (3) उप-नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।
- (4) पदोन्नति में आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
- (5) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।
16. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.- (1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 14 एवं 15 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो, यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान संशानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। उक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, उक्त सूची में व्यक्तियों की पच्चीस प्रतिशत संख्या को सम्मिलित करते हुए, एक आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी।
- (2) सूची में सम्मिलित अधिकारियों के नाम, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 के अनुसार तैयार किये जाने के समय अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पद में वरिष्ठता के क्रम व्यवस्थित की जायेगी।
- (3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण किया जायेगा।
- (4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित किया जाये कि सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना है, तो समिति, यथास्थिति, प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारण अभिलिखित करेगी।
17. आयोग से परामर्श.- (1) नियम 16 के अनुसार तैयार की गई सूची, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी:-
- (एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख;

- (दो) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित ऐसे सभी व्यक्तियों के अभिलेख, जिनका सूची में यथा अनुशंसित अवक्रमण प्रस्तावित है;
- (तीन) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी व्यक्ति के प्रस्तावित अवक्रमण के लिये समिति के लेखबद्ध कारण;
- (चार) समिति की अनुशंसाओं पर शासन की टिप्पणियां।

(2) यदि पदोन्नति समिति में, आयोग के अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य, जिसे अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित किया गया हो, उपस्थित रहें हों तथा यदि बैठक की कार्यवाही पर अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तो उप-नियम (1) के अधीन उपरोक्त कार्यवाही अपेक्षित नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप-खंड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग से पृथक परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

18. चयन सूची.- (1) आयोग, शासन से प्राप्त हुए दस्तावेजों के साथ-साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा, यदि इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक न समझे, तो सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो आयोग, प्रस्तावित परिवर्तन से शासन को सूचित करेगा तथा यदि शासन, विचार करने के पश्चात्, कोई मत प्रकट करे, तो ऐसे उपांतरणों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त प्रतीत हो, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित करेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची-चार के कॉलम (4) में यथा उल्लिखित पदों पर विहित सेवा के सदस्यों के पदोन्नति के लिए अनुमादित चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची सामान्यतया इसके तैयार किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी।

19. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.— (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा-संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।
- (2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व चयन समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।
20. परीक्षा.— सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
21. निर्वाचन.— यदि इन नियमों के निर्वाचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
22. शिथिलीकरण.— इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि यह किसी व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है।

परन्तु काइ मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

23. **निरसन एवं व्यावृत्ति :—** (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

(2) इन नियमों में दी कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये निर्देशों/आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.